अणसीदेवी बनाम अचलाराम
2024 / 48
निर्णय दिनांकः—20.08.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—19 / 2024 दर्ज तिथिः—13.03.2024

1. अणसी देवी पत्नी हीराराम
   जाति जाट निवासी बानों की बेरी दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
   ....वादीनी

बनाम

1. अचलाराम पुत्र कानाराम
2. केशी पुत्री गंगाराम
3. किशनाराम पुत्र गोरखाराम
4. श्रीराम पुत्र गोरखाराम
5. वालाराम पुत्र गोरखाराम
6. लेहरों पत्नी गोरखाराम
7. चेनाराम पुत्र जगमालराम
8. चूनाराम पुत्र जगमालराम
9. भीखाराम पुत्र जगमालराम लाऔलाद फौत होने पर कायम मुकाम प्रति. सं. 7 से 8 तक
10. चैनाराम पुत्र पूराराम
11. जोगाराम पुत्र आसूराम
12. हरजीराम पुत्र आसूराम
13. माडूदेवी पत्नी आसूराम
14. बांकाराम पुत्र लिखमाराम
15. भींयाराम पुत्र लिखमाराम
16. मगी पत्नी केहराराम
17. मूलाराम पुत्र नानगाराम
18. मेहराराम पुत्र वागाराम
19. विशनाराम पुत्र अर्जनराम
20. रूखमणाराम पुत्र मघाराम फौत होने से कायम मुकाम
    20 / 1. चन्द्रपकाश पुत्र रूखमणाराम,
    20 / 2. देदाराम पुत्र रूखमणाराम
    20 / 3. मेहाराम पुत्र रूखमणाराम
    20 / 4 हीराराम पुत्र रूखमणाराम
    20 / 5 चुन्नीलाल पुत्र रूखमणाराम
    20 / 5 / 1. नवलाराम पुत्र चुन्नीलाल
    20 / 5 / 2. हुकमाराम पुत्र चुन्नीलाल
    जातियान जाट निवा[illegible] जिला बाड़मेर।
    ....असल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

21. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा [illegible]

सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

अणसीदेवी बनाम अचलाराम
2024/48
निर्णय दिनांकः—20.08.2025

22. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैक शाखा धोरीमन्ना
23. प्रबन्धक बी सी सी बी शाखा भूणिया
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
25. उपपंजियक धोरीमना

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हापूराम
प्रतिवादीगणः—एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—20.08.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीनी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 926/5.0990 है0, 934/4.6943 है0,1001/44.3859 है0 किस्म क्रमशः बा.दो.,बा.दो.बा.सोयम वाके ग्राम वानों की बेरी तथा खसरा संख्या 1126/2/0.6070, 1172/686/1.9506 है0,1178/688/0.6152 है0, 1126/0.2752 है0 वाके ग्राम बजरंग नगर पटवार हल्का दूधू ,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीनी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीनी तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीनी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 23 को सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गइ। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीनी ने [illegible] पत्रावली में सीधे बहस का निवेदन किया। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादीनी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीनी ने दौराने जिरह [illegible] आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर [illegible] किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 06.12.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व प्रारंभिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू—धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ / 2025 / 2025 दिनांक 05.08.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव / कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषक वादीनी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादीनी पक्ष द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

3. तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ. / 2025 / 1082 दिनांक 01.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 14.07.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना द्वारा नोटिस क्रमांक 1052 से 1077 दिनांक 25.03.2025के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु मौका निरीक्षण की दिनांक 15.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीनी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 926 / 5.0990 है0, 934 / 4.6943 है0,1001 / 44.3859 है0 किस्म क्रमशः बा.दो.बा.दो.बा.सोयम वाके ग्राम वानों की बेरी तथा खसरा संख्या 1126 / 2 / 0.6070, 1172 / 686 / 1.9506 है0,1178 / 688 / 0.6152 है0, 1126 / 0.2752 है0 वाके ग्राम बजरंग नगर पटवार हल्का दूधू ,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीनी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का किस्म वर्ष रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं रिकार्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी का विधिक तकासमा किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

आवश्यक है। अतः दावा वादीनी मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नवशा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादीनी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 926 / 5.0990 है0, 934 / 4.6943 है0,1001 / 44.3859 है0 किस्म क्रमशः बा.दो.,बा.दो.बा. सोयम वाके ग्राम वानों की बेरी तथा खसरा संख्या 1126 / 2 / 0. 6070, 1172 / 686 / [illegible] है0, 1126 / 0. 2752 है0 वाके ग्राम बजरंग न[illegible] हल्का दूधू ,तहसील धोरीमन्ना जिला बा[illegible] नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालि[illegible] दावा व[illegible] डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
अणसी देवी पत्नी हीराराम जाति जाट सा.देह खातेदार रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बरजंग नगर मांगता	बानों की बेरी	934 1001 1001	0.6120 1.3000 1.4604	बा.दो. बा.सो. बा.सो.	0.22 0.39 0.44	हरा
	बजरंग नगर	1172/686 1126/2 1126 1178/688	0.2438 0.1100 0.0114 0.0427	बा.दो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	0.09 0.03 0.01 0.01	
		7	3.7803	—	1.19	
अचला पुत्र काना केशी पुत्री गंगा किशनाराम पुत्र गोरखाराम चूनाराम पुत्र जगमाल चैना पुत्र जगमाल चैनाराम पुत्र पूराराम जोगाराम पुत्र आसु बांका पुत्र लिखमा भीखा पुत्र जगमाल भींया पुत्र लिखमा मगी पत्नी केहरा मूलाराम पुत्र नानगाराम मेहराराम पुत्र वागाराम माडूदेवी पत्नी आसुराम लहरोंदेवीपत्नी गोरखाराम वालाराम पुत्र गोरखाराम श्रीराम पुत्र गोरखाराम हरजी राम पुत्र आसु कौमजाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी	24483/91805 6120/91805 1530/91805 4080/91805 4080/91805 6120/91805 1360/91805 4080/91805 4080/91805 4080/91805 6120/91805 1360/91805 6120/91805 1360/91805 1530/91805 1530/91805 1530/91805 1360/91805	926 934	5.0990 4.0803	बा.दो. बा.दो.	1.89 1.52	पीला
		2	9.1813	बा.दो.	3.41	

उपखण्ड कलक्टर
SDO धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

केसी पुत्री गंगा चैना पुत्र पूरा चूनाराम पुत्र जगमाल चैनाराम पुत्र जगमाल मगी पत्नी केहरा जोगाराम पुत्र आसु बांका पुत्र लिखमा भींया पुत्र लिखमा माडु पत्नी आसु हरजी पुत्र आसु कौमजाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/63 2/21 2/21 2/63 2/63 बजरंग नगर	1172/686	1.7068	बा.दो.	0.63	लाल
चैना पुत्र पूरा चूनाराम पुत्र जगमाल केसी पुत्री गंगा मगी पत्नी केहरा मधुबाला पत्नी रावताराम सा.कितनोरिया जोगाराम पुत्र आसु भींया पुत्र लिखमा बांका पुत्र लिखमा हरजीराम पुत्र आसुराम माडु पत्नी आसुराम कौम जाट सा.देहखातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/63 2/21 2/21 2/63 2/63	1126/2 1178/688 2	0.4970 0.5725 1.0695	बा.सो. बा.सो बा.सो	0.15 0.17 0.32	गुलाबी
अचला पुत्र काना केसी पुत्री गंगा किसनाराम पुत्र गोरखाराम चैना पुत्र पूरा चूनाराम पुत्र जगमाल, जोगाराम पुत्र आसु बांका पुत्र लिखमा भींया पुत्र लिखमा मगी पत्नी केहरा मूला पुत्र नानगा मेहराराम पुत्र वागाराम माडू पत्नी आसु लेहरों पत्नी गोरखाराम वालाराम पुत्र गोरखाराम श्रीराम पुत्र गोरखाराम हरजीराम पुत्र आसू कौम जाट सा.देह मधुबाला पत्नी रावताराम सा. कितनोरिया खातेदार	458/2629 114/2629 57/2629 114/2629 172/2629 114/2629 114/2629 114/2629 114/2629 458/2629 229/2629 114/2629 57/2629 57/2629 57/2629 114/2629 172/2629 बजरंग नगर	1126	0.2638	बा.सो.	0.07	बैंगनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना

रहन बदस्तूर जमाबंदी						
अचला पुत्र काना केसी पुत्री गंगा किशनाराम पुत्र गोरखाराम चूना पुत्र जगमाल चैना पुत्र जगमाल चैनाराम पुत्र पूराराम जोगाराम पुत्र आसुराम बांकाराम पुत्र लिखमा भीखा पुत्र जगमाल भींया पुत्र लिखमा मगी पत्नी केहरा मूलाराम पुत्र नानगाराम मेहराराम पुत्र बागाराम माडूदेवी पत्नी आसुराम लेहरों देवी पत्नी गोरखा वालाराम पुत्र गोरखाराम श्रीराम पुत्र गोरखाराम हरजीराम पुत्र आसु चन्द्रप्रकाश पुत्र रूखमणा देदाराम पुत्र रूखमणा नवलाराम पुत्र चुनीलाल मेहराराम पुत्र रूममणा लाली देवी पत्नी रूखमणा हीराराम पुत्र रूखमणाराम विशनाराम पुत्र अर्जुनराम हुकमाराम पुत्र चुन्नीलाल कौम जाट सा देह खाते. रहन बदस्तूर जमाबंदी	1344 / 5113 322 / 5113 85 / 5113 227 / 5113 227 / 5113 341 / 5113 76 / 5113 227 / 5113 227 / 5113 227 / 5113 341 / 5113 682 / 5113 341 / 5113 76 / 5113 85 / 5113 85 / 5113 85 / 5113 76 / 5003 7 / 10226 7 / 10226 4 / 10226 7 / 10226 5 / 10226 7 / 10226 20 / 5113 4 / 10226 बानों की बेरी	1001	41. 4070	बा.सो.		आस मानी
राजस्थान सरकार	बानों की बेरी	1001	0.2185	गै.मु.रा.	–	काला

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम आरएएस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना–बाड़मेर

अणसीदेवी बनाम अचलाराम
2024 / 48
निर्णय दिनांक:—20.08.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:—19 / 2024 दर्ज तिथि:—13.03.2024

1. अणसी देवी पत्नी हीराराम
   जाति जाट निवासी बानों की बेरी दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................वादीनी

बनाम

1. अचलाराम पुत्र कानाराम
2. केशी पुत्री गंगाराम
3. किशनाराम पुत्र गोरखाराम
4. श्रीराम पुत्र गोरखाराम
5. वालाराम पुत्र गोरखाराम
6. लेहरों पत्नी गोरखाराम
7. चेनाराम पुत्र जगमालराम
8. चूनाराम पुत्र जगमालराम
9. भीखाराम पुत्र जगमालराम लाऔलाद फौत होने पर कायम मुकाम प्रति. सं. 7 से 8 तक
10. चैनाराम पुत्र पूराराम
11. जोगाराम पुत्र आसूराम
12. हरजीराम पुत्र आसूराम
13. माडूदेवी पत्नी आसूराम
14. बांकाराम पुत्र लिखमाराम
15. भींयाराम पुत्र लिखमाराम
16. मगी पत्नी केहराराम
17. मूलाराम पुत्र नानगाराम
18. मेहराराम पुत्र वागाराम
19. विशनाराम पुत्र अर्जनराम
20. रूखमणाराम पुत्र मघाराम फौत होने से कायम मुकाम
    20 / 1. चन्द्रपकाश पुत्र रूखमणाराम,
    20 / 2. देदाराम पुत्र रूखमणाराम
    20 / 3. मेहाराम पुत्र रूखमणाराम
    20 / 4 हीराराम पुत्र रूखमणाराम
    20 / 5 चुन्नीलाल पुत्र रूखमणाराम
    20 / 5 / 1. नवलाराम पुत्र चुन्नीलाल
    20 / 5 / 2. हुकमाराम पुत्र चुन्नीलाल

जातियान जाट निवासी बानों की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.........असल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

अणसीदेवी बनाम अचलाराम
2024 / 48
निर्णय दिनांकः–20.08.2025

21. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मांगता
22. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैक शाखा धोरीमन्ना
23. प्रबन्धक बी सी सी बी शाखा भूणिया
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
25. उपपंजियक धोरीमना

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री हापूराम
प्रतिवादीगणः–एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 926 / 5.0990 है0, 934 / 4.6943 है0,1001 / 44.3859 है0 किस्म क्रमशः बा.दो.,बा.दो.बा. सोयम वाके ग्राम वानों की बेरी तथा खसरा संख्या 1126 / 2 / 0. 6070, 1172 / 686 / 1.9506 है0,1178 / 688 / 0.6152 है0, 1126 / 0. 2752 है0 वाके ग्राम बजरंग नगर पटवार हल्का दूधू ,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
अणसी देवी पत्नी हीराराम जाति जाट सा.देह खातेदार रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बरजंग नगर मांगता	बानों की बेरी	934	0.6120	बा.दो.	0.22	हरा
		1001	1.3000	बा.सो.	0.39	
		1001	1.4604	बा.सो.	0.44	
	बजरंग नगर	1172 / 686	0.2438	बा.दो.	0.09	
		1126 / 2	0.1100	बा.सो.	0.03	
		1126	0.0114	बा.सो.	0.01	
		1178 / 688	0.0427	बा.सो.	0.01	
		7	3.7803	–	1.19	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

अचला पुत्र काना केशी पुत्री गंगा किशनाराम पुत्र गोरखाराम चूनाराम पुत्र जगमाल चैना पुत्र जगमाल चैनाराम पुत्र पूराराम जोगाराम पुत्र आसु बांका पुत्र लिखमा भीखा पुत्र जगमाल भींया पुत्र लिखमा मगी पत्नी केहरा मूलाराम पुत्र नानगाराम मेहराराम पुत्र वागाराम माडूदेवी पत्नी आसुराम लहरोंदेवीपत्नी गोरखाराम वालाराम पुत्र गोरखाराम श्रीराम पुत्र गोरखाराम हरजी राम पुत्र आसु कौमजाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी	24483/91805 6120/91805 1530/91805 4080/91805 4080/91805 6120/91805 1360/91805 4080/91805 4080/91805 4080/91805 6120/91805 1360/91805 6120/91805 1360/91805 1530/91805 1530/91805 1530/91805 1360/91805	926 934	5.0990 4. 0803	बा.दो. बा.दो.	1.89 1.52	पीला
		2	9.1813	बा.दो.	3.41	
केसी पुत्री गंगा चैना पुत्र पूरा चूनाराम पुत्र जगमाल चैनाराम पुत्र जगमाल मगी पत्नी केहरा जोगाराम पुत्र आसु बांका पुत्र लिखमा भींया पुत्र लिखमा माडु पत्नी आसु हरजी पुत्र आसु कौमजाट सा.देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/63 2/21 2/21 2/63 2/63 बजरंग नगर	1172/686	1.7068	बा.दो.	0.63	लाल
चैना पुत्र पूरा चूनाराम पुत्र जगमाल केसी पुत्री गंगा मगी पत्नी केहरा मधुबाला पत्नी रावताराम सा.कितनोरिया जोगाराम पुत्र आसु	1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/63	1126/2 1178/688	0.4970 0.5725	बा.सो. बा.सो	0.15 0.17	गुलाबी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

SDO घोरीमना

भीया पुत्र लिखमा बांका पुत्र लिखमा हरजीराम पुत्र आसुराम माडु पत्नी आसुराम कौम जाट सा.देहखातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	2/21 2/21 2/63 2/63	2	1.0695	बा.सो	0.32	
अचला पुत्र काना केसी पुत्री गंगा किसनाराम पुत्र गोरखाराम चैना पुत्र पूरा चूनाराम पुत्र जगमाल, जोगाराम पुत्र आसु बांका पुत्र लिखमा भींया पुत्र लिखमा म्गी पत्नी केहरा मूला पुत्र नानगा मेहराराम पुत्र वागाराम माडू पत्नी आसु लेहरों पत्नी गोरखाराम वालाराम पुत्र गोरखाराम श्रीराम पुत्र गोरखाराम हरजीराम पुत्र आसू कौम जाट सा.देह मधुबाला पत्नी रावताराम सा. कितनोरिया खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	458/2629 114/2629 57/2629 114/2629 172/2629 114/2629 114/2629 114/2629 114/2629 458/2629 229/2629 114/2629 57/2629 57/2629 57/2629 114/2629 172/2629 बजरंग नगर	1126	0.2638	बा.सो.	0.07	बैंगनी
अचला पुत्र काना केसी पुत्री गंगा किशनाराम पुत्र गोरखाराम चूना पुत्र जगमाल चैना पुत्र जगमाल चैनाराम पुत्र पूराराम जोगाराम पुत्र आसुराम बांकाराम पुत्र लिखमा भीखा पुत्र जगमाल भींया पुत्र लिखमा मगी पत्नी केहरा मूलाराम पुत्र नानगाराम मेहराराम पुत्र बागाराम माडूदेवी पत्नी आसुराम लेहरों देवी पत्नी गोरखा वालाराम पुत्र गोरखाराम श्रीराम पुत्र गोरखाराम हरजीराम पुत्र आसु	1344/5113 322/5113 85/5113 227/5113 227/5113 341/5113 76/5113 227/5113 227/5113 227/5113 341/5113 682/5113 341/5113 76/5113 85/5113 85/5113 85/5113 76/5113	1001	41.4070	बा.सो.		आस मानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

चन्द्रप्रकाश पुत्र रूखमणा	7 / 10226					
देदाराम पुत्र रूखमणा	7 / 10226					
नवलाराम पुत्र चुनीलाल	4 / 10226					
मेहराराम पुत्र रूममणा	7 / 10226					
लाली देवी पत्नी रूखमणा	5 / 10226					
हीराराम पुत्र रूखमणाराम	7 / 10226					
विशनाराम पुत्र अर्जुनराम	20 / 5113					
हुकमाराम पुत्र चुन्नीलाल	4 / 10226					
कौम जाट सा देह खाते.						
रहन बदस्तूर जमाबंदी	बानों की बेरी					
राजस्थान सरकार	बानों की बेरी	1001	0.2185	गै.मु.रा.	–	काला

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिकी आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:33 IST
Reason: SelfAttested